उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन अधिनियम, 1951

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 30, सन् 1951)

THE U.P. ABOLITION OF ZARE CHAHARUM ACT, 1951

(U.P. Act No. XXX of 1951)

उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन अधिनियम, 1951[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1951)

(उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 6 सितम्बर, 1951 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 11 सितम्बर, 1951 की बैठक में स्वीकृत किया।)

(भारत संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राश्ट्रपति ने दिनांक 7 नवम्बर, 1951 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 नवम्बर, 1951 को प्रकाशित हुआ।)

ज़रे चहारुम की प्रथा के उत्सादन (abolition) के निमित्त

अधिनियम

क्योंकि ज़रे चहारुम की प्रथा के उत्सादन (abolition) की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

1–(1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन अधिनियम, 1951, होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर–

(क) ''ज़रे चहारुम'' का तात्पर्य भूस्वामी उत्सादन (landlord) के ऐसे अधिकार से है, वह चाहे किसी नाम से प्रसिद्ध हो और चाहे वह प्रथा या संविदा (custom or contract) पर आधारित हो, जो उसे किसी मकान या इमारत के विक्रय (sale) होने पर क्रय मूल्य (purchase price) में कोई हिस्सा या अंश पाने का हो।

स्पष्टीकरण 1–''विक्रय'' (sale) के अन्तर्गत किसी डिग्री के निष्पादन (execution) में शोधावसान (fore-closure) या विक्रय (sale) है।

स्पष्टीकरण 2–''भू–स्वामी'' (landlord) का तात्पर्य उस भूमि के जमींदार या स्वामी (proprietor) से है जिस पर मकान या अन्य इमारत हो।

(ख) ''लगान'' अथवा ''किराया'' के अन्तर्गत धरद्वारी और परजौती हैं।

ज़रे चहारुम की प्रथा का उत्सादन

3–एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी वाजिबुल अर्ज अनुबन्ध (agreement) या किसी न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आज्ञा या किसी अन्य आलेख (document) में किसी बात के रहते हुए भी, 25 अगस्त, 1951, से ज़रे चहारुम की प्रथा का एतद्द्वारा उत्सादन (abolition) किया जायेगा और किया जाता है।

ज़रे चहारुम के अधिकार का अवैध होना

4–किसी प्रथा, अनुबन्ध या अन्य आलेख में किसी बात के होते हुए भी, 25 अगस्त, 1951, को या उसके बाद किसी विक्रय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को ज़रे चहारुम के आधार पर यह अधिकार न होगा कि ऐसी भूमि पर, जिसका वह स्वामी हो, स्थित मकान या इमारत के क्रय मूल्य के किसी अंश या भाग को, विक्रेता (seller) या

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 27 अगस्त, 1951 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

क्रेता (purchaser) से वसूल कर सके। उक्त अंश या भाग को अदायगी के सम्बन्ध में, किन्तु अन्य में नहीं, कोई भी अनुबन्ध अवैध होगा।

अन्य विषयों में अनुबन्ध आदि का प्रभावशील रहना

5–यदि धारा 4 के कारण ज़रे चहारुम के रूप में किसी धनराशि को देने की प्रतिज्ञा (promise) अवैध हो जाय, तो अनुबन्ध वाला आलेख (document) उपर्युक्त के विषय को छोड़ कर किसी अन्य बात के लिए अवैध न होगा, चाहे कोई विधि (law) इस के प्रतिकूल भले ही हो।

25 अगस्त, 1951 के बाद के दायित्व के सम्बन्ध में वाद (suit) का प्रशयन

6–समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, 25 अगस्त, 1951, को या उसके बाद हुए विक्रय के सम्बन्ध में ज़रे चहारुम के आधार पर किसी धनराशि की प्राप्ति के लिए प्रत्येक वाद, प्रार्थना या व्यवहार (suit, application or proceeding) को प्रशायन हो जायगा (shall abate) और वे खारिज (dismiss) कर दिये जायेंगे; किन्तु उनसे सम्बद्ध व्यय न्यायालय के विचार पर निर्भर होगा।

वाद द्वारा लगान बढ़ाने का अधिकार

7–(1) किसी संविदा या प्रथा में किसी बात के रहते हुए भी, किसी ऐसी भूमि के भूस्वामी के लिए जिस के सम्बन्ध में 24 अगस्त, 1951, को जरे चहारुम का अधिकार प्राप्त हो, यह वैध होगा कि वह वाद द्वारा उस लगान को बढ़ा सके जो उक्त भूमि के लिए उक्त भूमि के लिए उक्त दिनांक पर प्रदेय हो :

किन्तु प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि वृद्धि उक्त लगान के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक न होगी ;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि भूस्वामी ने किसी समय उक्त भूमि पर स्थित मकान या इमारत के सम्बन्ध में ज़रे चहारुम के रूप में कोई धनराशि वसूल को है तो किसी वृद्धि की आज्ञा नहीं दी जायगी ;

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के लिए देय लगान में वृद्धि की गयी है, तो जब तक वृद्धि कार्यान्वित किये जाने के दिनांक से 33 वर्ष न बीत जायं, दुबारा लगान की वृद्धि नहीं की जायगी।

धारा 7 के अधीन लगान की वृद्धि के सम्बन्ध में सी0पी0सी0 आर्डर 2, रूल 2 की बाधा

8–कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908, के आर्डर 2, रूल 2 में किसी बात से यह न समझा जायगा कि केवल इस कारण से कि धारा 6 में उल्लिखित वाद निविष्ट (दाखिल) हुआ था, भूस्वामी धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन लगान की वृद्धि के लिए वाद प्रस्तुत करने से वंचित रह जायगा।

शास्ति

9–25 अगस्त, 1951, को या उस के बाद किये गये विक्रय के सम्बन्ध में ज़रे चहारुम के लिए धनराषि को लेने वाले व्यक्ति को ऐसा अर्थ दण्ड दिया जायगा जो उक्त प्रकार से लगायी गयी या वसूल की गयी धनराशि से दुगुना तक हो सकता है, और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किये गये अर्थ दण्ड में से ऐसा भाग जो विक्रेता या क्रेता द्वारा दी गयी धनराशि से अधिक न होगा, यथास्थिति, विक्रेता अथवा क्रेता को वापस कर दिया जाय।